संख्या- 7/ 1650 /अड्तीस-9-13-500(26)/2013

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 18 दिसम्बर, 2013

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत से नगर पालिका के क्षेत्र में कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अपने पत्र संख्या-2500/डी0आर0डी0ए0/वि0नि0/2013-14, दिनांक-07-10-2013 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों के प्रस्तर-2.1 एवं प्रस्तर-3.5 में किये गये प्राविधानों के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर शासन के दिशा-निर्देश मांगे गये है:-

(1)- क्या जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में अनुमन्य है ?

(2)- उपरोक्त संस्थायें यदि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु अधिकृत है, तो ये कार्यदायी संस्थायें अपने कार्य क्षेत्र से बाहर यथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/अन्य क्षेत्र पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कार्य करा सकती है अथवा नहीं ?

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्वान्तों के प्रस्तर-2.1 एवं प्रस्तर-3.5 को प्रतिस्थापित/संधोधित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक-14-10-2013 में किये गये प्राविधानों के अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद राज्य सरकार के निगमित निकाय होने के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था के रूप में अर्ह है तथा उक्त संस्थाओं का कार्य क्षेत्र उनके बायलाज में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार होगा।

3- कृपया उक्त स्थिति से समस्त मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

संख्या- 7/ (1) /अड्तीस-9-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

http://sansandesh.up.nic.in/